प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector, New Tehri

764 No

Dated 01/7/2017

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.3825 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department**, **Uttarakhand** (name of user agency) for **Fuleth-Kyara Motor Road Km-5.00 (BhagdwariKhal) to Bhutsi Moptor Road** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of **Bhutsi** village (s) in **Dehradun** tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3825 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to III annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

(Full name and official cear of the District Collector)

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, New Tehri

764 No

Dated 01 7 2017

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **0.3825** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department, Uttarakhand** (name of user agency) for **Fuleth-Kyara Motor Road Km-5.00** (BhagdwariKhal) to Bhutsi Moptor Road (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Bhutsi village (s) in **Dehradun** tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3825 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to III annexure.
- The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- 3. The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Bhutsi villages (s) is enclosed as annexure 30.3 to 30.4 annexure.
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section
 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given, their consent to it;
- The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of the district Collector)

िस्तिषिकारी

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A Meeting Of The District Level Committee Of DEHRADUN District Constituted Under FRA. 2006 Was Held Under the Chairmanship Of Mr S.A.M. A.S. District Magistrate, Dehradun On Dated Q/2.7/2.0.C. At Time .1.1.C. F.C. At New Terhi In Which Application Claiming Rights In Measuring 0.3825 Area Hect For The Construction Of Village Bhutsi Bhutsi Motor road From Fuleth – Kyara Motor Road Motor Road Forest Land Under FRA. 2006 Of The Following Applicant Duly Processed And Recommended By The Sub Divition Level Committee Of New Tehri Sub Division Were Discussed To Consider The Same For Admission By The District Level Committee.

After Scrutiny Of The Documents And Detailed Discussions, No Objection/Claims Were Found To Have Been Made & Hence District Level Committees Recommend The Above Case For Diversion Of Land For The Said Purpose.

Place: Demadun

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Lever Committee It is further certified that Minutes of Meeting of Fuleth-Kyara Motor Road Km. 5.00 (BhagdwariKhal) to Bhutsi Motor Road (Length- 7.55 Km.) regarding FRA is as following-(Meeting date)

| Sr. No. | | Remarks |
|---------|---|--|
| (a) | The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3825 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure .3 | scheduled tribes and other |
| (b) | The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwelers. |

जिला समाज कुल्याणः अधिकीरी देहसायून

प्रभा खेलागीय विमाधिकारी मस्रीवली प्रमाग, मस्री

हिलाधिकारी देहरादून

Signature (Full name and official seal of the District Collector)

| परियोजना का नाम | - | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में |
|-----------------|---|--|
| | | फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि०मी० 5.000 (भगद्वारी खाल) से भूत्सी कि०मी० |
| | | (0.775 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव। |

पपत्र 30.3

कार्यालय उप जिलाधिकारी, देहरादून अनुसुचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून .

उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद देहरादून के देहरादून विकास खण्ड में फुलेत – वयारा मोटर मार्ग के कि0मीठ 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी (0.0270 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.3555 है0 सिविल एवं सोयम 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.3825 है0 वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देहरादून) की दिनांक <u>7204-2017</u> को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकानों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियन 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री निपर करा —, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

| नाम | पद नाम | उप जिबसीविषाशी(सदर) |
|---|-------------|--------------------------|
| श्री - वित्तीय कारा - उपजिलाधिकारी देहरादून | अध्यक्ष | देहरादून / |
| श्री के पीए तमा | सदस्य | mal |
| श्री - मीनादी उपाछवापु सहायक समाज कल्याण | सदस्य/संचिव | महायक समाज कल्याण आचकारी |
| श्री ड्वीप्रजी पुलमा देवी - बीठडीठसीठ | सदस्य | नामंगुर, रोइन्करुती) |

. उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 0.3825 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद देहरादून के देहरादून विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 0.3825 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

(सदर)

उप जिलाधिकारी 🛛 अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन् अधिकार समिति तहसील- - उप-जिल्लाविकारी(सदर) तहसील-जनपद-दहरादन उप जिलाधिकारी अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय उत्त अलिसाधिकिरि (सदर) तहसील-जनगणन-दहरादन

देहराद्न प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, वहरादून . को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। जिलाधिकारी

रेतराद्व

तहसील

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेत - क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगदवारी खाल) से भूत्सी कि0मी0 (0.775 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत अनापत्ति प्रमाण–पत्र ग्राम पंचायत का नाम भूत्सी धनोल्टी , जिला देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी. के अर्न्तगत जनपद देहरादून के देहरादून विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगद्वारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.0270 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.3555 हे0 सिविल एवं सोयम, 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, 0.3150 हे0 नाप भूमि अर्थात कुल 0.3825 हे0 वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्थ विकास विभाग) विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भूत्सी द्वारा दिनांक.24-1-12को सम्पन्न ग्राम समा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम चौरा–गोल्थी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण डेजू दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।



मुहर सहित



ग्राम पंचायत <u>क्लाक</u> सिल्ला ब्लॉक

| कम सं0 | ग्राम समा में उपरिधत वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|--------|--|-----------|
| D | -भी विरेन्ड जोशी 9/0 भी इन्ह्रमाठा खड़ोरी | -10202 40 |
| 3 | -27 किलानकर भार 510 - की विभलेश्वर | 12 minut |
| 3 | - ही द्वदयराम भर् ९/० भरी शिव राश्का भर् | EUNIZION |
| | - भी सीटनलाल भट्ट डा० विमलिश्वर | सोहन |
| 5 | ही दिनेश आद्र डा० किरेन्द्र आद्र | मिनेश |
| ٢ | -ही मंगेश कर डा॰ की इन्ट्रमणि | गणेरा |
| 0 | ही महिमान्द भर ८१० ही तोता राज अर्ट | Missing |
| 3 | न्त्री पैचराम ब्होरी ८/० न्ही भुरण का बहो | ी पंचराम् |
| 9 | भी छेल्लाम ल्हों में | |
| (9) | -्री अवान कर्ता ९१० - २ी अहिआन-द | haif r |
| (10) | -ही वीर कास 5/0 नरोन्न हाम | 92 4122 |
| D | क्षी सरम महि। ड/० मनिक | CROWN |
| | अने विजेन्द्र ९१० न्यू का का | igadre |
| | जाना पंचयित्र व | |
| | Contraction of the second seco | 25)) |
| | | Y |
| | | |
| | | |
| - | | |

प्रारुप-30.3

परियोजना का नाम:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद देहरादून के रायपुर विकास खण्ड में फुलेथ—क्यारा मोटर मार्ग के किमी0 5.00 (भगद्वारी खाल) से भुत्सी मोटर मार्ग (0.775 किमी0) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राभ पंचायत का नाम- सिम्सयारी तहसील- देहरादून , जिला- देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत रायपुर विकास खण्ड में फुलेथ-क्यारा मोटर मार्ग के किमी० 5.00 (भगद्वारी खाल) से भुत्सी मोटर मार्ग (0.775 किमी०) के नवनिर्माण हेतु (0.0270 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.3555 हे० सिविल सोयम भूमि) अर्थात कुल 0.3825 हे० वन भूमि का उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विशय में ग्राम पंचायत सिम्सयारी द्वारा दिनांक <u>15-9-13</u> को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत वर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूनि में आदिवासी अथवा किसो गर आविवासी का जब्जा/कृषि कार्य तै अधवा नहीं। ' रुपरिणत जभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्टत किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्भति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सिम्सयारी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

आम पंथायल-ग्राम सचिव मुहर सहित विण्या-

ग्राम प्रधान/ सरपंच मुहर सहित

प्रारुप-30.4

ग्राम पंचायत सिम्सयारी

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के | हस्ताक्षर |
|----------|--|-----------------------------|
| | न्ताम | 1 |
| | | a) I 2121 |
| ١., | Matcus | ATEROLICIMEZ |
| 2. | फोरन जाल- | विरेन्ड |
| 3 | -Tely sitel | |
| 4. | पतानद जावी | 423171211 +22517122 |
| 5- | 222512017 | (Aster an and with a state |
| 6. | Zafn orter | 1-22121 ag at |
| 7. | पंचराम् नहोरी | 11 - 41.10 - 11 HIEMI-14 |
| <u>ج</u> | HIEMING | |
| 9. | जाको क दन्त जानेवी | Sitiat a a aint |
| 10 | Thank | Repailatery |
| 11 | Transing | 929211-1-6 |
| 12 | रिनताराम जारा | मीडाराम किस्टि? |
| 13 | 6-11 | 242 |
| 14 | HEIGO Shees Eta uture HENO | 至0 / - |

ग्राम प्रधान

भाम पंचायत- आवित्र न्याय पंचायत- आवत् -0150EF

प्रारुप–30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects) Government of Uttarakhand Office of the District Collector, New Tehri

No 457/XXV1_

Dated 30 5 2010

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 2.9475 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department, Uttarakhand (name of user agency) for Fuleth-Kyara Motor Road Km-5.00 (BhagdwariKhal) to Bhutsi Moptor Road (purpose for diversion of forest land) in Tehri Garhwal district falls within jurisdiction of Bhutsi village (s) in Dhanolti tehsils.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been 7. carried out for the entire 2.9475 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to III annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 8. 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural 9. (सोनिका) (सोनिका) जिल्हाओझिलारी communities.

Eucl: As above.

(Full name and official seal of he District Collector)

FORM-II

(For projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

No 457

XXVI

Office of the District Collector, New Tehri

Dated_30/5/18

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **2.9475** hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department**, **Uttarakhand** (name of user agency) for **Fuleth-Kyara Motor Road Km-5.00** (BhagdwariKhal) to Bhutsi Moptor Road (purpose for diversion of forest land) in **Tehri Garhwal** district falls within jurisdiction of Bhutsi village (s) in Dhanolti tehsils.

It is further certified that:

- 10. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.9475 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure I to III annexure.
- The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- 12. The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the garm sabha of Bhutsi villages (s) is enclosed as annexure 30.3 to 30.4 annexure.
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section
 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- 15. The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA.

Eucl: As above.

(Full name and officier seal of the District Collector)

(सोनिका) जिझहार्क्षाधिकार

प्रपन्न 30.2

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT NEW TEHRI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After Scrutiny Of The Documents And Detailed Discussions, No Objection/Claims Were Found To Have Been Made & Hence District Level Committees Recommend The Above Case For Diversion Of Land For The Said Purpose.

Place; NEWTEHRI

Dated: 3015 2018

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committee It is further certified that Minutes of Meeting Fuleth-Kyara Motor Road Km. 5.00 (Bhagdwarikhal) to Bhutsi Motor Road (Length- 7.550 Km.) regarding FRA is as following- (Meeting date)

| Sr.No. | | Remarks |
|--------|---|---|
| (a) | The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.947.5 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (S) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to annexure .03 | attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers |
| (b) | The Diversion of Forest land for facilities managed b the Government as required under section 3 (2) of the FRA, have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached. |
| (c) | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. |

जिला पंचाय सदस्य टिहरी गढ़वाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी जिला समाज्दिहरूप्याद्ववासियवन्दी मोजनगर, रिकरी भाषात

प्रम्बसीया ग- स्त्री किसी री परेग्रामसरीवन प्रधाय The shirt an yonu



(Full name and official seal District Collector)

| परियोजना का नाम | :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में |
|-----------------|---|
| | फुलेंत - क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगद्वारी खाल) से भूत्सी के नव निर्माण |
| | हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव। |

प्रपन्न 303

कार्यालय उप जिलाधिकारी, धनोल्टी

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, —

उपखण्ड जौनपुर परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद नईटिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में कुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (मगदवारी खाल) से मूल्सी (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.9475 हे0 सिविल एवं सोयम 2.296 हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 2.9475 हे0 वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील नईटिहरी) की दिनांक

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अभिकारों की महत्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अर्न्तगत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री की महत्यता), उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

| ० । ० ० व माम | पद नाम | इस्ताक्षर |
|---|------------|--------------------------|
| श्री | अध्यक्ष | AL |
| भ - हा न्जि मान उप प्रमागीय वनाधिकारी | सदस्य | िर्भ वर्णायांव वर्णाव |
| री - रार्ट्सिट नेजी • सहायक समाज कल्याण | सदस्य/सचिव | र्श्वासर नेगी रिक्ति स्त |
| भी | सदस्य | MMMI rat |

"रेपेखण्ड संचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगद्वारी खाल) से भूल्सी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.9475 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अर्न्तगत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, नईटिहरी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नईटिहरी परिक्षेत्र के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में फुलेत – क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.000 (भगदवारी खाल) से मूत्सी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2. 9475 हे0 वन भूमि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गया।

| | उप जिलाभिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड ज्वरीय वन अधिकार समिति तहसील |
|---|---|
| प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, नईटिहरी . को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। | उप जिलाधिकारी/ अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील |
| The second states | जनपद |

TEEX

प्रारुप-30.3

परियोजना का नामः-

जनपद टिहरी गढ़वाल, विकास खण्ड जौनपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेत—क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00(भग्द्वारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमी स्थानान्तरण प्रस्ताव।

वन अधिकार अधिनियम, 2:06 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- भूत्सी(रवाली, जमठियाल गाँव) तहसील धनौल्टी, जिला- टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फुलेत—क्यारा मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00(भग्द्वारी खाल) से भूत्सी मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु (0.000 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.9475 हे0 सिविल सोयम भूमि अर्थात कुल 0.000 हे0 वन पंचायत भूमि, 3.150 हे0 नाप भूमि अर्थात कुल 2.947 हे0 वन भूमि) का प्रधानमंत्री ग्रमीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तूत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भुत्सी(रवाली, जमठियाल गाँव) द्वारा दिनांक 12/02/2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत भुत्सी के अन्तर्गत ग्रामसभा भुत्सी, रवाली, जमठियाल गाँव द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत भुत्सी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि उत्तराखण्ड ग्रामीण विकास विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

गाम पंचायत ग्राम सचिव ग्राम गंगरा मुहर सहित्त, उ

महर सहित

दिनांक 12/02/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत (भुत्सी, रवाली, जमठियाल गाँव)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|----------------|
| 1 | धन सिंह पुत्र स्व0 टुमी सिंह | 411202 |
| 2 | चन्दन सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह | चन्ध्वासि |
| 3 | बलबीर सिंह पुत्र स्व० श्याम सिंह | and the |
| 4 | दीवान सिंह पुत्र स्व0 संग्राम सिंह | Sting E |
| 5 | औतार सिंह पुत्र स्व0 सूर्यमणी | अगिराठाप्रि |
| 6 | देवेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 धर्म सिंह | देवे-द्वीर्यंड |
| 7 | पदम सिंह पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह | 447168 |
| 8 | रनवीर सिंह पुत्र भौपाल सिंह | Koratic BE |
| 9 | शैलेन्द्र सिंह पुत्र सुन्दर सिंह | stal & line |
| 10 | सोवन सिंह पुत्र स्व0 भौपाल सिंह | Bokansı- |
| 11 | गम्भीर सिंह पुत्र स्व0 गोपाल सिंह | 3172/5162 - |
| 12 | केदार सिंह पुत्र स्व0 कृपाल सिंह | 47915162 |
| ·13 | इन्द्र सिंह पुत्र मुकन्दी सिंह | 5-8148 |
| 14 | विक्रम सिंह पुत्र दलेव सिंह | 1920 4132 |
| 15 | पदम सिंह पुत्र प्रेम सिंह | 4 son lenot |
| 16 | बलबीर सिंह पुत्र रतन सिंह | adaptime |
| 17 | लोकेन्दर सिंह पुत्र स्व0 बीर सिंह | fokerblor |
| 18 | सूरत सिंह पुत्र भौपाल सिंह | स्रत्तसिंह |



दिनांक 12/02/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत भुत्सी (रवाली, जमठियाल गाँव)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित दरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर |
|---------|--|--------------------------|
| 1 | मलमसिंह केन्द्ररा मत्व | Kelans Sh |
| 2 | मरापाल सिंह नेहर मुखि | Kelansish - |
| 3 | Raig THE | that the |
| 4 | जलवीर सिंह | cicial kig |
| | दे के न्यू सिंह राज-इ सिंह | देवोजामां राजन्द्रालह |
| 6 | | |
| 7 | 312472162 | मा दिन्हा सिंह |
| 8 | स्तील व्य हा | रानील |
| 10 | गांच २ रेन्ट्र | गोविद्व सिंग्ह् |
| 11 . | R. LADE | Ex 2012 R |
| 12 | भारतीसिंह | भारत सिंह |
| 13 | सीवनविष्ट. | सोवनाइट |
| 14 | सामाखर | HICHIE |
| 15 | रविन्द्र सिंह | 2010-22 14 2 |
| 16 | Sparse let | 2) オストドレ |
| 17 | 13911762 | Aunt |
| 18 | नलगरासंह | - १ |



भास पचाचत विकास आधिकारी